A-II वीरेन्द्र सिंह बनाम भूदेव शर्मा व अन्य

TIN- 494/2023 ~~कार्यालय टिप्पणी~~ जी.ई.एन. 18

आज दिनांक 20/11/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभावक मंच द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यवाहित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य से व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पुर्नुत्तर दिनांक 21/11/23 को पेश हो।

आज दिनांक 21/11/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभावक मंच द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार/कार्यवाहित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अवकाश। पुर्नुत्तर 23/11/23 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 23/11/23 को पेश हुई वकील प्रार्थी- अनार्थी/~~वकील~~ उपस्थित हुये। पत्रावली वास्ते तजवीज/~~जवाब~~/कार्यवाही/~~जवाब~~/ ~~दावा~~ पुर्वानुसार कार्यवाही हेतु दिनांक 24/11/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

7/12/23 ~~पत्रावली पेश हुई वकील उपस्थित उप~~ ~~वकील उपस्थानी कारणों से पत्रावली~~ ~~नहीं पत्रावली वास्ते पेश नहीं किये~~ 24/12/23 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

27/12/23 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पत्रावली का मय मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद बाबत इस्तमरारहक, दखलयाबी व हुक्म इस्तनाई हेतु पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

ACJ वीरेन्द्र सिंह बनाम मुकेश शर्मा वगैरा

T.No - 404/2008

मूलवाद का निस्तारण तवारीख कायमशुदा आकर साक्ष्य उपरांत सुनवाई पर किया जाना उचित समझते हैं। तब तक वादग्रस्त आराजीयात को संरक्षित बनाए रखना आवश्यक समझते हैं जिससे वाद व मुख्यत: न पड़े। अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 को ताकीद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1 रकबा 10 बीघा 05 बिस्वा पर ~~किया~~ ग्राम ईवरी तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित में निर्माण कार्य नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर ~~से~~ कम होकर सेलन्ट मूलवाद रहे। निर्णय आज दिनांक 27/02/2023 को सरे दरबार सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय